

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 14/2018 शस्त्र अधिनियम

अनवानी :- मनदीपसिंह पुत्र श्री सुखपालसिंह जाति जटसिख निवासी 3 एच.एच.  
तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

----- अपीलान्त

— बनाम —

स्टेट ऑफ राजस्थान।

----- रेस्पोजेन्ट

उपस्थित :- श्री हरीश व्यास अभिभाषक अपीलांत  
श्री कमलजीतसिंह सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष  
की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 26.12.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.07.2017, जिसमें अपीलांत द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरुद्ध यह अपील दिनांक 2.7.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 27.2.17 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 2326 दिनांक 01.06.2017 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं पाये गये हैं। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने का उल्लेख किया। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 01.06.2017 एवं आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 10 एवं 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं करने का उल्लेख करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलांत का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2017 से निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

  
संभागीय आयुक्त  
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी। अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक अपीलांट ने मियाद बिन्दु पर बहस में अवगत कराया अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को विलम्ब से हुई है, जिसके समर्थन में मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर न्याय हित में अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री हरीश व्यास का वरवक्त बहस मुख्य रूप से कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 01.06.17 में अपीलांट के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज अथवा विचाराधीन होना नहीं पाया गया है। अपीलांट का चरित्र सही बताया गया है। रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। पुलिस अधीक्षक की जांच रिपोर्ट देखने मात्र से स्पष्ट है कि सभी तथ्य अपीलांट के पक्ष में होते हुए भी यह लिख दिया जाना कि शपथ पत्र में वर्णित सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं पाये गये हैं। इसका अर्थ है कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है। अपीलांट को अपनी खेती की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता है। अपीलांट व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 27.2.2017 को उपस्थित हुआ था उसके पश्चात् अपीलांट को बताया गया कि आगे की प्रगति आपको जरिये डाक सूचना दी जायेगी। परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के संबंध में अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई। बार-बार पूछताछ करने पर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। आखिरकार दिनांक 26.06.2018 को जब अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय में पता करने गया तो उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश 04.07.2017 अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।
5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री कमलजीतसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 2326 दिनांक 01.06.2017 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित सभी

  
संभागीय अनुसूक्त  
कीकानेर

आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं पाये गये हैं। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने का उल्लेख किया। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 01.06.2017 एवं आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 10 एवं 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं करने का उल्लेख करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2017 से निरस्त कर दिया, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 01.06.2017 में अपीलांट के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई है। केवल मात्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं पाये जाने एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने का उल्लेख किया एवं आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 10 एवं 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं करने का उल्लेख करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2017 से निरस्त कर दिया, जो एकतरफा तौर पर दिया गया आदेश है। यदि किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्यों की आवश्यकता समझी जावे तो इसके लिये अपीलांट को तलब कर कर्मी पूर्ति करवाई जा सकती थी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की उक्त रिपोर्ट दिनांक 01.06.17 में प्रथम दृष्टया अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र नहीं दिये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया गया है। पुलिस रिपोर्ट में अपीलांट के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी भी नहीं की गई है। अपीलान्ट का कोई आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड का पूर्ण रूप से अवलोकन नहीं किया गया है।

  
समाजीय अमुक्त  
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2017 निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलांत को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत पुनः पुलिस रिपोर्ट प्राप्त की जाकर विधि सम्मत आदेश पारित करें।
8. तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 26.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(हनुमान सहाय मीना)  
संभागीय आयुक्त  
बीकानेर